FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर एवं (SDO) मुकाम बायतु

मुमताज खां बनाम किस्तूराराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा. अधि. 111, 128 RLR act नं. 88/2022 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.22	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत पुनड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12.04.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
12/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलेवरी रसीदें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया, विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी बाबत बहस पत्रावली दिनांक 27/04/2022 को पेश हो।	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (SDO) बा

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 451

दिनांक : 27/04/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. सुभान खां पुत्र गफुर खां वगैरा 04, जाति तेली मुसलमान, निवासी पटाली नाडी, पटवार मण्डल रतेऊ, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)	1. किस्तुराराम पुत्र जगरूपाराम वगैरा 19, जाति जाट, निवासी बायतु भीमजी, पटवार मण्डल रतेऊ, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 88 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – पटाली नाडी, पटवार मण्डल – रतेऊ, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1005/764, 763, 764 रकबा क्रमशः 11.9220, 0.0324, 11.9220 हेक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
दिनांक : 27/04/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 452–456

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री सुभान खां पुत्र गफुर खां वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री किस्तुराराम पुत्र जगरूपाराम वगैरा 19,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु